



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082026-275605
CG-DL-E-20082026-275605

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4401]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948

No. 4401]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2026

का.आ. 4581(अ) .— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2165 (अ) दिनांक 29/04/2026, जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 30/04/2026 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन कॉरीडोर एसबीएन#301 से केएचआर#04 और एसबीएन#301 से केएचआर#02 को जोड़ने के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा गुजरात राज्य के खेरवा - गांव, तहसील - महेसाणा एवं जिला - महेसाणा में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 04/06/2026 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है; और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

पाइप लाइन कॉरीडोर एसबीएन#301 से केएचआर#04 को जोड़ने के लिए

तालुका: - महेसाणा

जिला- महेसाणा

राज्य- गुजरात

गाँव का नाम		सर्वे / ब्लोक नं.	भाग यदि कोई हो	क्षेत्रफल		
				हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1		2	3	4		
1	खेरवा	129		00	01	32
2		117		00	03	80
3		116		00	10	19
4		107		00	13	16
5		106		00	08	65
6		105		00	06	44
7		92		00	00	11
8		104		00	13	85
9		100		00	05	94
10		94		00	19	00
11		98		00	05	56
12		95		00	08	39
13		97		00	08	38
14		2288		00	02	73
15		251		00	11	79
16		250		00	12	15
17		249		00	12	62
18		248		00	07	41
19		265		00	06	27
20		264		00	06	04

21		263		00	05	77
22		262		00	02	37
23		28		00	06	00
24		334		00	11	99
25		330		00	07	78
26		335		00	01	31
27		329		00	14	48
28		337		00	09	65
29		386		00	04	63
30		385		00	04	40
एसबीएन 301#से केएचआर0#2 को जोड़ने के लिए						
31	खेरवा	110		00	05	23
32		109		00	14	87
33		87		00	14	66
34		84		00	03	31
35		85		00	00	18
36		86		00	08	98
37		80		00	10	30
38		79		00	07	04
39		78		00	05	73
40		77		00	13	87
41		76		00	09	66
42		75(75/P1 & 75/P2)		00	13	86
43		51		00	11	17
44		52		00	08	51
45		44		00	03	22
46		45		00	10	05
47		46		00	04	33
48		36		00	01	23
		कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में		37838		

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/29/2025-इएक्सपीएल-पीएनजी (ई-53342)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2026

S.O. 4581(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No2165(E) Dated 29/04/2026 issued under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra-ordinary Gazette of India dated 30/04/2026, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying PIPELINE CORRIDOR FROM SBN#301 To KHR#04 & SBN#301 To KHR#02 in Kherva village, Tal. Mehsana, Dist. Mehsana in the State of Gujarat to be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Extra-ordinary Gazette notification were made available to the public up to dated: 04/06/2026.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Ltd. free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

PIPELINE CORRIDOR FOR SBN#301 To KHR#04

TALUKA: - MEHSANA

DISTRICT:-MEHSANA

STATE:-GUJARAT

Name of village		Survey No./ Block No.	Part if any	Area		
				Hq.	Are	Sq. mtr.
1		2	3	4		
1	Kherva	129		00	01	32
2		117		00	03	80
3		116		00	10	19
4		107		00	13	16
5		106		00	08	65
6		105		00	06	44
7		92		00	00	11
8		104		00	13	85
9		100		00	05	94
10		94		00	19	00
11		98		00	05	56
12		95		00	08	39
13		97		00	08	38
14		2288		00	02	73
15		251		00	11	79
16		250		00	12	15
17		249		00	12	62
18		248		00	07	41
19		265		00	06	27
20		264		00	06	04
21		263		00	05	77
22		262		00	02	37

23		28		00	06	00
24		334		00	11	99
25		330		00	07	78
26		335		00	01	31
27		329		00	14	48
28		337		00	09	65
29		386		00	04	63
30		385		00	04	40
PIPELINE CORRIDOR FOR SBN#301 To KHR#02						
31		110		00	05	23
32		109		00	14	87
33		87		00	14	66
34		84		00	03	31
35		85		00	00	18
36		86		00	08	98
37	Kherva	80		00	10	30
38		79		00	07	04
39		78		00	05	73
40		77		00	13	87
41		76		00	09	66
42		75(75/P1&75/P2)		00	13	86
43		51		00	11	17
44		52		00	08	51
45		44		00	03	22
46		45		00	10	05
47		46		00	04	33
48		36		00	01	23
Total Area in sqm.				37838		

[F. No. Expl-13011(26)/29/2025-EXPL-PNG (E-53342)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.